PAREEKSHA BAAZ
Institute for CSE Examination

CURRENT AFFAIRS

30th NOV 2024

For more exam related videos and guidance, scan the code to join our YouTube Channel

For more exam related material, scan the code to join our Telegram Channel

Scan the code to join our Instagram Channel

INDEX

SN.	TOPIC
1	मनरेगा जॉब कार्डों का विलोपन
2	एसएएससीआई द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केन्द्रों का विकास
3	ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया से दूर रहने पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया
4	महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है
5	डार्क टूरिज्म

मनरेगा जॉब कार्डों का विलोपन

चर्चा में क्यों?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत **जॉब कार्डों से श्रमिकों के नाम हटाए जाने** की हालिया वृद्धि ने काम के अधिकार और कार्यान्वयन में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं।

- अकेले **2022-23** में **5.53 करोड़ से अधिक श्रमिकों को** हटाया गया, जो **2021-22 की तुलना में 247% की वृद्धि दर्शाता है।**

मनरेगा जॉब कार्ड हटाने के लिए मुख्य प्रावधान क्या हैं?

- **विलोपन के आधार** : मनरेगा अधिनियम, 2005 की **अनुसूची II, पैराग्राफ 23 के** अनुसार , किसी जॉब कार्ड को केवल **विशिष्ट,** सुपरिभाषित शर्तों के तहत ही हटाया जा सकता है:
  - **स्थायी प्रवास:** यदि कोई परिवार संबंधित **ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाता है ।**
  - **डुप्लीकेट जॉब कार्ड** : यदि कोई जॉब कार्ड **डुप्लीकेट पाया जाता है।**
  - **जाली दस्तावेज:** यदि जॉब कार्ड **जाली दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया हो।**
  - **क्षेत्र का पुनर्वर्गीकरण:** यदि किसी ग्राम पंचायत को **नगर निगम के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, तो** उससे संबंधित **सभी जॉब कार्ड** हटा दिए जाते हैं।
  - **अन्य वैध कारण:** मनरेगा **प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में " डुप्लीकेट आवेदक", "फर्जी आवेदक" और "काम करने के लिए इच्छुक नहीं"** जैसे कारण सूचीबद्ध हैं ।
- **एबीपीएस की भूमिका : 2022-23** के दौरान **मनरेगा जॉब कार्ड विलोपन** में वृद्धि अनिवार्य **आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस)** के कार्यान्वयन के साथ हुई , जिसके लिए श्रमिकों को अपने आधार नंबर को अपने जॉब कार्ड से जोड़ना आवश्यक था।
  - जिन श्रमिकों के आधार कार्ड **लिंक नहीं थे या गलत तरीके से लिंक थे,** उनके जॉब कार्ड निरस्त कर दिए गए।
- **हटाने के लिए उचित प्रक्रिया:** हटाने के लिए प्रस्तावित श्रमिकों की **सुनवाई** दो स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में की जानी चाहिए, **हटाने के कारणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जानी चाहिए,** कार्यवाही का **दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए,** तथा पारदर्शिता के लिए रिपोर्ट **ग्राम सभा या वार्ड सभा** के साथ **साझा की जानी चाहिए ।**

नोट: एबीपीएस एक भुगतान प्रणाली है जो **सरकारी सब्सिडी और लाभों को** लाभार्थियों के **आधार से जुड़े बैंक खातों** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने के लिए **आधार संख्या का उपयोग करती है।**

मनरेगा जॉब कार्डों के विलोपन के क्या परिणाम होंगे?

- **काम करने के अधिकार का उल्लंघन:** "काम करने के इच्छुक नहीं होने" के आधार पर जॉब कार्ड से श्रमिकों के नाम हटाना, श्रमिक को **काम करने के उसके कानूनी अधिकार से वंचित करना है।**
  - जिन श्रमिकों पर "काम करने के लिए तैयार नहीं" का लेबल लगा है, उनमें से कई ने वास्तव में अपने हटाए जाने के वित्तीय वर्ष में **काम किया था या काम के लिए अनुरोध किया था ।**

- **असंगत प्रक्रिया: केवल कुछ श्रमिकों** के जॉब कार्ड हटाने के लिए प्रयुक्त किया गया आधिकारिक कारण " **गांव शहरी बन गया"** अधिनियम की इस शर्त का खंडन करता है कि **शहरी क्षेत्र** में **सभी जॉब कार्ड** हटा दिए जाने चाहिए।
  - नाम हटाने में अक्सर **ग्राम सभा की** मंजूरी की अनदेखी की जाती है, जो अधिनियम का उल्लंघन है, और कई श्रमिकों को **उनकी जानकारी के बिना गलत तरीके से नाम हटाने का सामना करना पड़ता है।**
- **सत्यापन का अभाव: कई श्रमिक गलत तरीके से हटाए जाने** के शिकार हुए, जब हटाए जाने के कारणों की वैधता का आकलन करने के लिए **किसी सत्यापन या विश्लेषण के बिना ही उनका नाम हटा दिया गया।**
  - यद्यपि नाम हटाने की प्रक्रिया **एमआईएस में दर्ज की जाती है, लेकिन** ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नाम हटाने के कारणों, जिनमें 'काम करने के लिए तैयार नहीं होना' का कारण भी शामिल है, का **कोई सत्यापन और विश्लेषण नहीं किया है ।**
- **कमजोर आबादी पर प्रभाव: "काम करने के लिए तैयार न होने"** जैसे कारणों से श्रमिकों को हटाना , विशेष रूप से **उच्च ग्रामीण बेरोजगारी दरों** के मद्देनजर , सीधे तौर पर उनके आजीविका के अवसरों को कमजोर करता है।
- **आंकड़ों से प्रेरित चिंताएं:** आंकड़ों से पता चलता है कि विलोपन में वृद्धि **एबीपीएस** पर बढ़ते फोकस के **अनुरूप है** , जो यह दर्शाता है कि विलोपन वास्तविक कारणों के बजाय **अनुपालन प्रोत्साहनों** से प्रेरित हो सकता है ।

मनरेगा योजना क्या है?

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को** सितंबर 2005 में पारित किया गया ताकि **मनरेगा योजना** के तहत **मजदूरी रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान की जा सके।**
- **उद्देश्य: अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों** के **वयस्क सदस्यों** को **प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों का मजदूरी रोजगार** प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना ।
- **पात्रता:**
  - **लक्ष्य समूह:** रोजगार की आवश्यकता वाले सभी ग्रामीण परिवार जो **शारीरिक, अकुशल कार्य करने के लिए तैयार हों।**
  - **पंजीकरण:** आवेदक अपना अनुरोध **ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करते हैं,** जो परिवारों का पंजीकरण करती है और सत्यापन के बाद जॉब कार्ड जारी करती है।
  - **प्राथमिकता** : वेतन चाहने वालों में कम से कम **एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए।**
  - **रोजगार की शर्तें:** रोजगार **कम से कम 14** दिनों तक लगातार चलना चाहिए, तथा प्रति सप्ताह अधिकतम छह कार्यदिवस होने चाहिए।
- **रोजगार प्रावधान:**
  - **रोजगार समयसीमा:** ग्राम **पंचायत या ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी को** आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना होगा **,** अर्थात आवेदक के गांव के **5 किलोमीटर के भीतर ।**
    - इससे अधिक कार्य करने पर **परिवहन** और जीवन-यापन लागत के लिए 10% अतिरिक्त वेतन की आवश्यकता होती है।

- **बेरोजगारी भत्ता: यदि 15 दिनों के भीतर** रोजगार उपलब्ध **नहीं** कराया जाता है , तो **बेरोजगारी भत्ता** दिया जाता है जो **पहले 30 दिनों** के लिए **मजदूरी दर का एक-चौथाई** और शेष के लिए कम से कम आधा होता है।

- **अनुमेय कार्य:**
  - **जल एवं भूमि विकास:** संरक्षण एवं संचयन।
  - **वनरोपण एवं सूखा निवारण:** वृक्षारोपण।
  - **सिंचाई एवं कृषि अवसंरचना:** नहरें, तालाब और सिंचाई।
  - **ग्रामीण सम्पर्कता:** सड़कें और पुलिया।
  - **स्वच्छता एवं स्वास्थ्य:** शौचालय एवं अपशिष्ट प्रबंधन।
  - **ग्रामीण बुनियादी ढांचा:** सामुदायिक केंद्र और भंडारण।
  - **रोजगार से जुड़ी परियोजनाएँ:** खाद बनाना, पशुधन आश्रय, मत्स्य पालन।
- **प्रतिबंध: ठेकेदारों और श्रमिक-विस्थापन मशीनों** का उपयोग **निषिद्ध** है ।
- **मनरेगा और सतत विकास लक्ष्य:**

वे फारवर्ड

- **सत्यापन प्रक्रियाएं:** मनमाने ढंग से नाम हटाने की घटनाओं को कम करने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि **नाम हटाने में मनरेगा अधिनियम, 2005 और मास्टर सर्कुलर प्रोटोकॉल का पालन किया जाए ।**
- **लेखापरीक्षा और निरीक्षण:** निरंतरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विलोपन रिकॉर्ड और जॉब कार्ड हटाने के कारणों का लेखापरीक्षा करने के लिए **स्वतंत्र निकायों या तीसरे पक्ष की एजेंसियों की** स्थापना करें ।

- **शिकायत निवारण:** श्रमिकों को शिकायत दर्ज करने और गलत तरीके से हटाए गए नामों के लिए **निवारण की मांग करने** हेतु एक **स्पष्ट और कुशल प्रक्रिया प्रदान करने के लिए प्रणालियों का निर्माण या सुदृढ़ीकरण करना।**
- **ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना** : यह सुनिश्चित करना कि सभी विलोपनों की समीक्षा की जाए और **ग्राम सभा** द्वारा अनुमोदित किया जाए, जैसा कि मनरेगा अधिनियम, 2005 में अनिवार्य किया गया है।
- **एमआईएस को उन्नत करें: जॉब कार्ड विलोपन को** सटीक रूप से ट्रैक करने और रिकॉर्ड करने के लिए एमआईएस को उन्नत करें , बेहतर निगरानी के लिए वास्तविक समय अधिसूचना और मजबूत रिपोर्टिंग सुविधाओं के साथ।
    - समय पर हस्तक्षेप और सुधारात्मक कार्रवाई **के लिए जॉब कार्ड विलोपन की** प्रवृत्तियों और अनियमितताओं का पता लगाने के लिए डेटा विश्लेषण का उपयोग करें ।

एसएएससीआई द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केन्द्रों का विकास

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने **पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के** तहत **23 राज्यों में 40 पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए 3,295 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।**

- यद्यपि एसएएससीआई 2020-21 से सक्रिय है, यह पहली बार है जब पर्यटन के लिए विशेष रूप से धनराशि निर्धारित की गई है।

वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केन्द्रों का एसएएससीआई विकास क्या है?

- एसएएससीआई योजना के तहत वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास घटक का उद्देश्य भारत में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना, पर्यटन में विविधता लाने के लिए बटेश्वर (उत्तर प्रदेश), पोंडा (गोवा) और गंडिकोटा (आंध्र प्रदेश) जैसे कम देखे जाने वाले स्थलों को बढ़ावा **देना** है **।**
- **उद्देश्य** : यह योजना राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास, ब्रांडिंग और वैश्विक विपणन के लिए **50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है।**
    - इसका उद्देश्य चुनौती-मोड परियोजनाओं के माध्यम से **स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना** और संपूर्ण पर्यटन मूल्य श्रृंखला (जिसमें परिवहन, आवास, गतिविधियां और सेवाएं शामिल हैं) को मजबूत करना है।
- **योजना की मुख्य विशेषताएं** : राज्य द्वारा प्रस्तुत केवल चयनित प्रस्तावों के लिए ही वित्तपोषण प्रदान किया जाता है जो योजना के दिशानिर्देशों और उद्देश्यों को पूरा करते हैं।
    - **पर्यटन मंत्रालय** कनेक्टिविटी **, मौजूदा पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र, साइट क्षमता, उपयोगिताओं की उपलब्धता, परियोजना प्रभाव, वित्तीय व्यवहार्यता और स्थिरता** जैसे मानदंडों के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा ।
    - प्रस्तावों को **चुनौती मोड विकास प्रक्रिया का पालन करना होगा।**
        - चुनौती मोड विकास प्रक्रिया **निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन के माध्यम से सर्वोत्तम प्रस्तावों का चयन करती है,** जिससे उच्च गुणवत्ता वाली, नवीन परियोजनाएं सुनिश्चित होती हैं।
    - **राज्यों को बिना किसी कीमत के बिना किसी बाधा के भूमि** उपलब्ध करानी चाहिए । परियोजनाएं टिकाऊ होनी चाहिए, जिनका संचालन और रखरखाव लंबे समय तक हो।
    - परियोजनाओं के पूरा होने की अवधि **दो वर्ष निर्धारित की गई है,** तथा धनराशि 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
    - राज्य सरकार **परियोजना के संचालन** और रखरखाव के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, संभवतः **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से।**
    - राज्य विश्व स्तरीय पर्यटन विकास के लिए निजी कम्पनियों को आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन दे सकते हैं।
- **सहायता का स्वरूप:** राज्य एकाधिक परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें से **प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम वित्तपोषण 100 करोड़ रुपये होगा।**
    - असाधारण परियोजनाओं के लिए, पर्यटन मंत्रालय **व्यय विभाग (डीओई) के अनुमोदन के अधीन, अधिक धनराशि का प्रस्ताव कर सकता है।**

- भारत सरकार **परियोजना लागत का 100% वहन करेगी,** जबकि राज्यों को परिधीय बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण में योगदान देना होगा।
  - **किसी भी राज्य को 250 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि नहीं मिलेगी,** तथा धनराशि पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटित की जाएगी।

- **कार्यान्वयन और निगरानी:** राज्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि पर्यटन मंत्रालय उनकी प्रगति की देखरेख करेगा।

एसएएससीआई योजना क्या है?

- **योजना के बारे में: कोविड-19** महामारी के कारण 2020-21 में ' **पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना**' शुरू की गई थी। इसके बाद इसे 2022-23 और 2023-24 में ' **पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना**' के रूप में लागू किया गया ।
- **उद्देश्य:** राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **योजना की संरचना** : यह योजना प्रमुख विकास क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें वाहन कबाड़ प्रोत्साहन, शहरी नियोजन सुधार, पुलिस कर्मियों के लिए आवास और यूनिटी मॉल परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना शामिल है।
  - यह शैक्षिक पहुंच बढ़ाने के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ पुस्तकालयों की स्थापना का भी समर्थन करता है।
- **योजना का उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य मांग को प्रोत्साहित करके और रोजगार सृजन करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, साथ ही राज्य के वित्तपोषण के माध्यम से **जल जीवन मिशन** और **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं में तेजी लाना है।**
  - यह शहरों में जीवन की गुणवत्ता और शासन को बढ़ाने के लिए शहरी नियोजन और वित्त में सुधारों को भी प्रोत्साहित करता है।

पूंजीगत व्यय

- **पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) से** तात्पर्य बुनियादी ढांचे और मशीनरी जैसी भौतिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या सुधार, आर्थिक उत्पादकता और रोजगार बढ़ाने के लिए सरकारी निधियों से है।
- केंद्रीय बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये (या **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4%)** आवंटित किया गया है।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भारत की पहल

- **स्वदेश दर्शन योजना**
- **राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 का मसौदा**
- **देखो अपना देश पहल**
- **एक भारत श्रेष्ठ भारत**
- **अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता प्रमाणन कार्यक्रम**
- **ई-वीज़ा**

- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस - उड़ान)**
- **राष्ट्रीय तीर्थस्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान मिशन (प्रशाद)**
- **पर्यटन अवसंरचना विकास योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता** : पर्यटन अवसंरचना और सांस्कृतिक पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता।
- **आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना:** पर्यटन कार्यक्रमों, मेलों और त्योहारों के आयोजन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।

ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया से दूर रहने पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया

समाचार में

- ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने एक कानून पारित किया है, जिसके तहत टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया जाएगा, अगर वे 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को अकाउंट बनाने से नहीं रोक पाते हैं।

कानून के बारे में

- **उद्देश्य:** युवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संभावित नुकसानों, जैसे साइबर धमकी, लत और हानिकारक सामग्री के संपर्क से बचाना।
- **सख्त प्रवर्तन:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को आयु संबंधी प्रतिबंध लागू करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा और गैर-अनुपालन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की चुनौतियाँ

- **गोपनीयता संबंधी चिंताएं:** यह कानून गोपनीयता के बारे में चिंताएं उत्पन्न करता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं को सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र का उपयोग करके अपनी आयु सत्यापित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- **आयु सत्यापन की चुनौती:** इन प्रतिबंधों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आयु सत्यापन है।
- **छल की संभावना:** विशेषज्ञों का तर्क है कि प्रतिबंध से गुमनाम प्लेटफार्मों और वीपीएन का उपयोग बढ़ सकता है, जिससे ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करना मुश्किल हो जाएगा।
- **हानिकारक साइटों के संपर्क में आना:** यह अनजाने में युवाओं को डार्क वेब जैसे अधिक खतरनाक ऑनलाइन स्थानों की ओर धकेल सकता है। इससे साइबर अपराध जैसी और भी चुनौतियाँ पैदा होती हैं।

बच्चों पर सोशल मीडिया की लत का प्रभाव

- **मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से चिंता, अवसाद और कम आत्मसम्मान की दर में वृद्धि देखी गई है।
    - बच्चे साइबर बदमाशी का शिकार हो सकते हैं, जिसके गंभीर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं, जैसे आत्मसम्मान में कमी।
- **शारीरिक प्रभाव:** अत्यधिक स्क्रीन समय के कारण गतिहीन जीवनशैली हो सकती है, जिससे मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं जैसे आंखों में तनाव और खराब मुद्रा हो सकती है।
- **सामाजिक और भावनात्मक प्रभाव** : FOMO (छूट जाने का डर) और आमने-सामने संचार के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है, वास्तविक जीवन के रिश्तों और सामाजिक कौशल का क्षरण हो सकता है।

वे फारवर्ड

- **कठोर आयु सत्यापन:** सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल न्यूनतम आयु आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उपयोगकर्ता ही उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकें।
- **माता-पिता की सहमति:** प्लेटफॉर्म को एक निश्चित आयु से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता हो सकती है।
- **डिजिटल साक्षरता शिक्षा:** स्कूलों को युवाओं को प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग के बारे में सिखाने के लिए डिजिटल साक्षरता को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए।
- **समय सीमा जैसे प्लेटफॉर्म-आधारित हस्तक्षेप:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी सुविधाएं लागू कर सकते हैं जो स्क्रीन समय को सीमित करती हैं, विशेष रूप से युवा उपयोगकर्ताओं के लिए।
    - प्लेटफॉर्म हानिकारक सामग्री को फ़िल्टर करने और सकारात्मक सामग्री को बढ़ावा देने के लिए AI-संचालित टूल का उपयोग कर सकते हैं।
- **सरकारी विनियम:** मजबूत डेटा गोपनीयता कानून उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा कर सकते हैं और डेटा उल्लंघनों को रोक सकते हैं।
    - सरकारें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ मिलकर कठोर विषय-वस्तु मॉडरेशन मानकों को विकसित और लागू कर सकती हैं।
- **डिजिटल डिटॉक्स शिविर:** डिजिटल डिटॉक्स को प्रोत्साहित करने और ऑफ़लाइन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिविरों का आयोजन करना।

FALTA KE KHILA

महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है

प्रसंग

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2017-18 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गया है।

बारे में

- **महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर** 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है।
- यह दर्शाता है कि **स्नातकोत्तर शिक्षा** और उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त 39.6% महिलाएं 2023-24 में कार्यरत हैं, जो 2017-18 में 34.5% थी।
- **उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 23.9% महिलाएं** 2023-24 में कार्यबल का हिस्सा होंगी, जबकि 2017-18 में यह आंकड़ा 11.4 प्रतिशत था।

कार्यशील भारत की स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार हालिया रुझान

- कम शिक्षा प्राप्त **वृद्ध महिलाएं कार्यबल से बाहर हो रही** हैं , तथा उच्च शिक्षा प्राप्त युवा महिलाएं कार्यबल में प्रवेश कर रही हैं।
- **वेतनभोगी रोजगार** में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है , जबकि अनौपचारिक वेतनभोगी कार्य में महिलाओं की संख्या घट रही है।
- कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की हिस्सेदारी घट रही है। सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं का अनुपात बढ़ रहा है।
- **प्रभाव:**
    - जैसे-जैसे वेतनभोगी रोजगार में महिलाओं की संख्या बढ़ती है, आय में **लिंग अंतर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता** है , तथा अधिकाधिक महिलाओं द्वारा आकस्मिक मजदूरी वाले काम को छोड़ने से यह अंतर कम होता जाता है।
    - महिला कार्यबल में ये बदलाव **देश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर दीर्घकालिक प्रभाव दर्शाते हैं।**

महिला भागीदारी का महत्व

- भारत **अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने** का प्रयास कर रहा है , क्योंकि यहां कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है - जिसके 2030 तक लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंच जाने की उम्मीद है।
- भारत **वैश्विक विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनने की ओर अग्रसर है।**
- एक हालिया रिपोर्ट में पूर्वानुमान लगाया गया है कि देश के लिए **8 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने के लिए अगले पांच वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।**
- इस वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए, 2030 तक सृजित होने वाले **नए कार्यबल** में **महिलाओं की हिस्सेदारी आधे से अधिक होनी चाहिए ।**

चुनौतियां

- **वेतन अंतर:** बड़ी संख्या में कार्यबल में प्रवेश करने के बावजूद, महिलाओं को अक्सर लिंग के आधार पर वेतन अंतर का सामना करना पड़ता है।
- **यौन उत्पीड़न:** कार्यस्थल पर महिलाओं को, विशेषकर पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में, यौन उत्पीड़न का उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- **अवैतनिक घरेलू कार्य:** यद्यपि महिलाएं कार्यबल में तेजी से भाग ले रही हैं, फिर भी अवैतनिक घरेलू श्रम, जैसे खाना पकाना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल, आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी अभी भी उन्हीं पर है।
- **सहायक बुनियादी ढांचे का अभाव:** बाल देखभाल सुविधाएं, लचीले कार्य घंटे और घर से काम करने के विकल्प जैसे सहायक बुनियादी ढांचे का अभाव है, जो काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के बोझ को कम कर सकते हैं।
- **परिवार का विरोध:** परिवार अक्सर महिलाओं के काम करने के विचार का विरोध करते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों या रूढ़िवादी घरों में।

श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारी पहल

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):** पीएमएमवाई के तहत, महिलाएं छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए बिना किसी संपार्श्विक के सूक्ष्म ऋण ऋण का लाभ उठा सकती हैं, जिससे महिलाओं को पूंजी तक पहुंच से संबंधित बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना:** यह योजना लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए काम करती है, तथा लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने पर ध्यान केंद्रित करती है।
    - यह शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है।
- **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017:** इस अधिनियम ने 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया।
- **नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमिता मंच (WEP):** यह मंच व्यवसाय में महिलाओं के लिए मार्गदर्शन, नेटवर्किंग, वित्त पोषण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करता है।
- **स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):** एनआरएलएम अपने स्वयं सहायता समूह घटक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामूहिक समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो ऋण, उद्यमिता प्रशिक्षण और विपणन अवसरों तक पहुंच बना सकें।
- **राष्ट्रीय क्रेच योजना:** यह योजना कामकाजी माताओं, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली माताओं को निकटवर्ती स्थानों पर डेकेयर की स्थापना करके सहायता प्रदान करती है, जहां वे काम के दौरान अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं।
- **मिशन शक्ति** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा 2021-2025 की अवधि के लिए शुरू किया गया एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है।

- इसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है, तथा महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनाना है।

- **विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (WISE KIRAN) कार्यक्रम ने** 2018 से 2023 तक लगभग 1,962 महिला वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान की है।

वे फारवर्ड

- इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के केंद्र में महिलाओं के नेतृत्व में विकास ही रहा।
  - **वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2025 तक** महिला कल्याण के लिए **बजट आवंटन में 218.8 प्रतिशत की** उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।
- **जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में सामाजिक मानदंडों में बदलाव लाकर** अधिकाधिक महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- ऋण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता तक आसान पहुंच के माध्यम से **महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा।**
- **सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना,** कार्यस्थल पर उत्पीड़न से निपटना, तथा लचीले कार्य विकल्प उपलब्ध कराना महिलाओं को कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा।

SAFALTA KE KHILADI

डार्क टूरिज्म

समाचार में

- यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच **"डार्क टूरिज्म"** में लगे पश्चिमी पर्यटकों की बाढ़ आ गई है ।

डार्क टूरिज्म

- इसका तात्पर्य मृत्यु, त्रासदी, पीड़ा या असामान्य ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े स्थानों पर जाने से है।
    - इन स्थलों में कब्रिस्तान, युद्धक्षेत्र, स्मारक, आपदा क्षेत्र और अपराध स्थल शामिल हैं।
- **प्रमुख डार्क टूरिज्म स्थलों के उदाहरण:** ऑशविट्ज़ यातना शिविर (पोलैंड): नरसंहार की याद दिलाता है।
    - **चेर्नोबिल** (यूक्रेन): एक भयावह परमाणु आपदा का स्थल।
    - **ग्राउंड ज़ीरो** (न्यूयॉर्क): 9/11 हमले के पीड़ितों के लिए स्मारक।
    - **हिरोशिमा शांति स्मारक पार्क (** जापान): 1945 में परमाणु बमबारी के पीड़ितों की स्मृति में बनाया गया पार्क।
    - **जलियाँवाला बाग (अमृतसर, पंजाब)** : 1919 के दुखद नरसंहार का स्थल, जहाँ निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जलियाँवाला बाग लचीलेपन और बलिदान के लिए एक शक्तिशाली श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है।

लोकप्रियता के कारण

- **भावनात्मक जुड़ाव** : आगंतुक अतीत की त्रासदियों से प्रभावित लोगों के इतिहास और भावनाओं के साथ गहराई से जुड़ना चाहते हैं।
- **जिज्ञासा और विशिष्टता:** डार्क टूरिज्म विशिष्ट पर्यटक आकर्षणों से अलग, अद्वितीय, गैर-पारंपरिक अनुभव प्रदान करता है।
- **मृत्यु दर पर चिंतन:** यह जीवन, मृत्यु और ऐतिहासिक महत्व के बारे में आत्मनिरीक्षण को प्रेरित करता है, तथा एक "वास्तविकता की जाँच" प्रदान करता है।

सोशल मीडिया की भूमिका

- रुचि को बढ़ाता है: उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किए गए पोस्ट, फोटो और वीडियो डार्क टूरिज्म साइटों की दृश्यता बढ़ाते हैं।
- प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका: सोशल मीडिया के प्रभावशाली व्यक्ति विषय-वस्तु निर्माण के लिए इन साइटों पर आते हैं, तथा कभी-कभी सम्मानजनक जुड़ाव के बजाय सौंदर्यबोध और व्यक्तिगत ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- जिज्ञासा प्रेरित: सोशल मीडिया पर डार्क साइट्स की दृश्यात्मक अपील अन्य लोगों को वहां जाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

नैतिक विचार

- डार्क टूरिज्म इतिहास और मानवीय अनुभव को जानने का एक अनूठा और विचारोत्तेजक तरीका प्रदान करता है।
- पर्यटन नैतिकता के क्षेत्र के विशेषज्ञ सम्मानजनक सहभागिता के महत्व पर बल देते हैं।
- इन साइटों पर सम्मान और संवेदनशीलता के साथ जाना आवश्यक है, क्योंकि वे जो शैक्षिक और भावनात्मक मूल्य प्रदान करते हैं, वे गहन हो सकते हैं।

निष्कर्ष

- डार्क टूरिज्म यात्रा की दुनिया में एक जटिल स्थान रखता है। यह लोगों को अतीत के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने और इतिहास के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने का मौका देता है। हालाँकि, यह नैतिक चुनौतियों को भी साथ लेकर चलता है, खासकर सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन के संदर्भ में, जहाँ इन साइटों की गंभीरता कभी-कभी आकर्षक छवियों की खोज में दब जाती है।
- चूंकि डार्क टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है, इसलिए यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इन स्थलों पर उस सम्मान और समझ के साथ जाएं जिसके वे हकदार हैं।